## [1][नियम 164 : धारा 73 के अधीन जारी की गई मांगो के संबंध में धारा 128क के अधीन कार्यवाही को बंद करने के लिए प्रक्रिया और शर्तें

(1) कोई व्यक्ति जो धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) मे उल्लिखित किसी सूचना या किसी कथन के संबंध मे ब्याज या शास्ति या दोनो के अधित्यजन के लिए पात्र है, तो वह मांग किए गए कर के संबंध मे **प्ररुप जीएसटी डीआरसी–03** में किए गए संदायो के ब्यौरो देते हुए सामन्य पोर्टल पर **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–01** मे इलेक्ट्रॉनिक रुप से आवेदन फाइल कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) मे उल्लिखित आदेशों के संबंध मे ब्याज या शास्ति या दोनो के अधित्यजन के लिए पात्र है, तो वह मांग किए गए कर के संबंध मे किए गए संदायो के ब्यौरो के साथ उक्त आदेश का ब्यौरो देते हुए सामान्य पोर्टल पर **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–02** मे इलेक्ट्रॉनिक रुप से आवेदन फाइल कर सकेगाः

**परंतु** ऐसे मांग किए गए कर के संबंध मे संदाय केवल उक्त आदेश द्वारा सृजित नामे प्रवृष्टि के विरुध्द इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर मे रकम प्रत्यय करके किया जाएगा;

**परंतु यह और** कि यदि ऐसे मांग किए गए कर के संबंध मे संदाय **प्ररुप जीएसटी डीआरसी–03** के माध्यम से किया गया है, तो **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–02** में आवेदन फाईल करने से पूर्व, नियम 142 के उपनियम (2ख) मे यथाविहित **प्ररुप जीएसटी डीआरसी–03क** में, ऐसे मांग किए गए कर के संबंध मे सृजित नामे प्रवृष्टि के विरुध्द इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर मे उक्त रकम के प्रत्यय के लिए उक्त व्यक्ति द्वारा आवेदन फाईल किया जाएगा।

(3) जहां धारा 128क की उपधारा (1) मे उल्लिखित सूचना या कथन या आदेश मे आंशिक रुप से गलत प्रतिदाय के कारण और आंशिक रुप से अन्य कारणों से कर की मांग भी सम्मिलित है, उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इससे पूर्व केवल उक्त सूचना या कथन या आदेश मे मांग किए गए कर की पूर्ण रकम के संदाय के पश्चात् ही उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन कोई आवेदन फाईल किया जाएगा ।

(4) जहां धारा 128क की उपधारा (1) मे उल्लिखित सूचना या कथन या आदेश मे आंशिक रुप से उक्त धारा मे उल्लिखित अवधी से भिन्न अवधी के लिए कर की मांग भी सम्मिलित है, उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इससे पूर्व केवल उक्त सूचना या कथन या आदेश मे मांग किए गए कर की पूर्ण रकम [2][उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इसमें पूर्व केवल उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से संबंधित कर की पूर्ण रकम

---

1 अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा नियम 164 अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.11.2024)।

2 अधिसूचना क्रमांक 11/2025–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.03.2025 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 27.03.2025)।

और उक्त सूचना या कथन या आदेश मे मांग किए गए कर] के संदाय के पश्चात् ही उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन कोई आवेदन फाईल किया जाएगा ।

[3][**स्पष्टीकरण–** उन मामलों में जहां अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई सूचना या विवरण या आदेश में, आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए और आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न किसी अन्य अवधि के लिए कर की मांग शामिल है, ऐसे किसी भी कर, ब्याज और शास्ति के लिए कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा, जिसका केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 के प्रारंभ होने के पूर्व संपूर्ण अवधि के लिए पहले ही उन्मोचन कर दिया गया है।]

**(5)** उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन संदेय रकम वह रकम होगी, जो धारा 73 के अधीन यथास्थिति सूचना या कथन या आदेश के निबंधन मे संदेय रकम मे से उस रकम को घटाकार जो धारा 16 की उपधारा (5) या उपनियम (6) के अनुसरण मे संदेय नही है, संदेय बनी रहती है।

**(6)** कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन फाईल करना चाहता है धारा 128क की उपधारा उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर ऐसा कर सकता है ।

**परंतु** जहां धारा 128क की उपधारा (1) के पहले परंतुक मे निर्दिष्ट मामलो मे कोई आवेदन **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–02** मे फाईल किया जाना है, उक्त आवेदन को फाईल करने के लिए समय सीमा धारा 73 के अधीन ऐसे कर का पुनर्निर्धारण करते हुए समुचित अधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास होगी ।

**(7)** उपधारा (1) उपधारा (2) के अधीन आवेदन, यह स्थापित करने के लिए कि आवेदक धारा 128क के निबंधनो मे कर या शास्ति या दोनो के अधित्यजन के लिए पात्र है, यथास्थिति, किसी अपील प्राधिकारी या अधिकरण या न्यायालय के समक्ष फाईल की गई अपील या रिट याचिका, यदि कोई हो, वापिस लेने के साक्ष्य संबंधी दस्तावेज से संलग्र होगा :

**परंतु** जहां आवेदक ने यथास्थिति अपील प्राधिकारी या अपील प्राधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील या रिट याचिका को वापिस लेने के लिए कोई आवेदन फाईल किया है किंतु उपधारा (1) उपधारा (2) के अधीन आवेदन फाइल करने की तारीख का संबंधित प्राधिकारी द्वारा वापसी के लिए कोई आदेश जारी नही किया है, आवेदक उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आवेदन के साथ उक्त अपील या रिट याचिका के वापिस लेने के लिए फाइल किए गए ऐसे आवेदन या दस्तावेज की प्रति अपलोड करेगा और संबंधित प्राधिकारी द्वारा वापसी के उक्त आदेश के भीतर सामान्य पोर्टल पर उक्त अपील या रिट याचिका के वापसी के लिए आदेश की प्रति को अपलोड करेगा ।

---

[3] अधिसूचना क्रमांक 11/2025–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.03.2025 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 27.03.2025)।

[4][**परन्तु यह और** कि जहां धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई सूचना या विवरण या आदेश में जिसमें आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए और आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न किसी अन्य अवधि के लिए कर की मांग शामिल है, आवेदक अपील वापस लेने के बजाए अपील प्राधिकारी या अपील न्यायाधिकरण को सूचित करेगा कि वह उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए अपील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और संबंधित प्राधिकारी उक्त अनुरोध पर ध्यान देने के पश्चात् उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न अन्य अवधि के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा जिसे वह उचित और न्यायसंगत समझे ।

**स्पष्टीकरण**– शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अपील आवेदन धारा 128 क के उप–खंड (3) के प्रयोजनार्थ 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 या उसके भाग की अवधि के लिए उक्त सूचना के विस्तार तक वापस लिया हुआ समझा जाएगा'' ।]

**(8)** जहां समुचित अधिकारी का यह दृष्टिकोण है कि **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–01** या **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–02** में किया गया आवेदन नामंजूर किये जाने के लिए दायी है क्योंकि धारा 128क के अनुसार ब्याज या शास्ति या दोनो के अधित्यजन के लिए पात्र नही है, वह उक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–03** में आवेदक को सामान्य पोर्टल पर कोई सूचना जारी करेगा और आवेदक को सुनवाई किए जाने का उत्तर फाइल कर सकेगा।

**(9)** उपनियम (8) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर आवेदक उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–04** मे सामान्य पोर्टल पर उक्त सूचना का उत्तर फाइल कर सकेगा।

**(10)** यदि समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक धारा 128क के अनुसार ब्याज और शास्ति के अधित्यजन के लिए पात्र है, वह धारा 128क के अधीन उक्त आवेदन को स्वीकार करने और कार्यवाहियों का समापन करने के लिए सामान्य पोर्टल पर **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–05** मे आदेश जारी करेगा ।

**(11)** ऐसे मामलो मे जहां उपनियम (10) के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–05** में आदेश जारी किया गया है –

**(क)** धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) मे निर्दिष्ट किसी सूचना या कथन से संबंधित **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–01** मे फाइल किए गए किसी आवेदन के संबंध में, नियम 142 के उपनियम (5) के अनुसार **प्ररुप जीएसटी डीआरसी–07** मे आदेश का सार उक्त सूचना या विवरण के संबंध मे समुचित अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित नही होगा;

---

[4] अधिसूचना क्रमांक 11/2025–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.03.2025 द्वारा परंतुक एवं स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 27.03.2025)।

**(ख)** धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) मे निर्दिष्ट किसी आदेश से संबंधित **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–02** में फाइल किए गए किसी आवेदन के संबंध मे इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर के भाग 2 मे सृजित दायित्व को त्दनुसार संशोधित किया जाएगा ।

**(12)** यदि समुचित अधिकारी आवेदक के उत्तर से संतुष्ट नही है, समुचित अधिकारी उक्त आवेदन को नामंजूर करते हुए **जीएसटी एसपीएल–07** मे आदेश जारी करेगा ।

**(13)** **(क)** ऐसे मामलो मे जहां **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–03** मे सूचना जारी नही की गई है, समुचित अधिकारी यथास्थिति **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–01** या **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–02** मे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधी के भीतर उपनियम (10) के अधीन आदेश जारी करेगा।

**(ख)** ऐसे मामलो मे जहां **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–03** में सूचना जारी नही की गई है, समुचित अधिकारी **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–04** में आवेदक के उत्तर की प्राप्ति से तीन मास की अवधी के भीतर या जहां आवेदक से कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–03** मे सूचना के जारी होने की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर उपनियम (10) या उपनियम (12) में आदेश जारी करेगा ।

**स्पष्टीकरण–** इस उपनियम के प्रयजनो के लिए उपनियम (7) के परंतुक मे निर्दिष्ट मामलो मे, यथास्थिति अपील या रिट की वापसी के लिए आदेश को प्रस्तुत करने की तारीख तक उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आवेदन के फाइल करने की तारीख से समयावधि को इस उपनियम के खंड (क) या खंड (ख) समय अवधि की गणना करते समय सम्मिलित नही किया जाएगा।

**(14)** यदि उपनियम (13) मे विनिर्दिष्ट समय के भीतर समुचित अधिकारी के द्वारा कोई आदेश जारी नही किया गया है, तब यथास्थिति **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–01** या **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–02** मे आवेदन को स्वीकृत समझा जाएगा ।

**(15)** **(क)** ऐसे मामलो मे जहां धारा 107 की उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट समया के भीतर **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–07** मे आदेश के विरुध्द कोई अपील फाइल नही की गई है, धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) मे उल्लिखित आदेश के विरुध्द आवेदक द्वारा फाइल की गई मूल अपील, यदि कोई हो, और धारा 128क की उपधारा (3) के अनुसार **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–02** में प्रस्तुत आवेदन को प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

**(ख)** ऐसे मामलो मे जहां ब्याज, या शास्ति, या दोनो के अधित्यजन के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आदेश के विरुध्द **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–07** मे अपील दाखिल की जाती है, यदि –

(i) अपील प्राधिकारी ने यह निर्णय दिया है कि उचित अधिकारी ने **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–07** में ब्याज, या शास्ति, या दोनो के अधित्यजन के लिए आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया है, उक्त अपीलीय प्राधिकारी उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए और धारा 128क के अधीन कार्यवाही को समाप्त करते हुए सामान्य पोर्टल पर **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–06** मे आदेश पारित करेगा; या

(ii) अपील प्राधिकारी ने यह निर्णय दिया है कि उचित अधिकारी ने **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–07** मे ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया है, धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) मे उल्लिखित आदेश के विरुध्द आवेदक द्वारा दाखिल मूल अपील, यदि कोई हो, और धारा 128क की उपधारा (3) के अनुसार **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–02** में आवेदन दाखिल करने के लिए वापस ले ली गई है, इस शर्त के अधीन प्रत्यावर्तित की जाएगी कि आवेदक **प्ररुप जीएसटी एपीएल–04** में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधी के भीतर **प्ररुप जीएसटी एपीएल–08** में पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रुप से एक वचनबंध दाखिल करता है, कि उसने अपीलीय प्राधिकारी के उक्त आदेश के विरुध्द न तो कोई अपील दाखिल की है और न ही दाखिल करने का इरादा रखता है ।

**(16)** ऐसे मामलों मे जहां करदाता से धारा 128क की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार कर देयता की अतिरिक्त रकम का संदाय करना अपेक्षित है और ऐसा अतिरिक्त संदाय उक्त परंतुक मे निर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर नही किया जाता है, वहां **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–05** या **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–06** में जारी आदेश के अनुसार उक्त धारा के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनो की छूट , यदि कोई हो , शून्य हो जाएगा।

**(17)** ऐसे मामलो मे जहां करदाता से त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय से संबंधित किसी मांग के संबंध मे या धारा 128क की उपधारा (1) मे उल्लिखित अवधि के अलावा अन्य अवधि से संबंधित मांग के कारण ब्याज, या शास्ति, या दोनो की कोई रकम का संदाय करना अपेक्षित है, और ऐसी रकम का विवरण **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–05** या **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–06** में उल्लिखित किया गया है, आवेदक, यथास्थिति, **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–05** या **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–06** में आदेश जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधी के भीतर ब्याज, या शास्ति, या दोनो की उक्त रकम का संदाय करेगा, और जहां उक्त रकम उक्त समय अवधि के भीतर संदत्त नही की जाती है, **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–05** या **प्ररुप जीएसटी एसपीएल–06** मे जारी आदेश के अनुसार धारा 128क के अधीन ब्याज, या शास्ति, या दोनो का अधित्यजन शून्य हो जाएगा।

**स्पष्टीकरण–** इस नियम के प्रयोजनों के लिए , इस नियम के अधीन आदेश जारी करने के लिए समुचित अधिकारी ,–

**(क)** ऐसे मामलों मे जहां ब्याज, या शास्ति ,या दोनो के अधित्यजन के लिए आवेदन धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) मे उल्लिखित नोटिस या विवरण के संबंध में किया जाता है, धारा 73 के अनुसार आदेश जारी करने के लिए समुचित अधिकारी होगा; और

**(ख)** ऐसे मामलों मे जहां ब्याज, या शास्ति, या दोनो के अधित्यजन के लिए आवेदन धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) मे उल्लिखित आदेश के संबंध में किया जाता है, अधिनियम की धारा 79 मे निर्दिष्ट समुचित अधिकारी होगा।]